

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)






अज अदालत - उपखण्ड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर
रेखाराम पुत्र गोदाराम जाति जाट वगै.
सा. मातासुखा तह. नावां

बनाम

बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान
कानाराम पुत्र जीवणराम जाति जाट वगै.
सा. मातासुखा तह. नावां

किस्म मुकदमा : 183,188 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर 153A/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
17.06.2022	<p>वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगाराम ने यह वाद पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 18.07.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी, नावां </p>	
18/7/22	<p>अधिवक्ता वाही उपर। तामील। अहम तामील सम्मन प्राप्त नहीं हुआ। पत्रावली दि 18/8/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>	<p>प्रतिवादी सं - 2, 5, 11, 12, 17</p>
18/8/22	<p>उभयपक्ष उपर। अधिवक्ता श्री जगाराम ने बिजारणियां में प्रतिवादी संख्या 6, 9, 13 की ओर से वकालतनामा व प्रतिवादी संख्या 2, 5, 11, 12, 14 की ओर से पत्रावली व वकालतनामा, जवाब व वकालतनामा दि 28/9/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>	<p>19/9/22</p> <p>(अहमलाल जाट)</p>
28/9/22	<p>उभयपक्ष उपर। पूर्व में प्रतिवादीगण के बच तामील सम्मन प्राप्त प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 7, 17 का तामील शुरू सम्मन प्राप्त जावपूर सूचना शुरुपस्थित एकपक्षीय कार्यवाही अहम में पाई जाती है पत्रावली दि 23/11/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>	

23/11/22

उत्तरपक्ष उपरोक्त अकालतनामा, जवाब व अकापा तलबी पेश करने हेतु दिनांक 12/12/22 को पेश हो

12/12/22

उत्तरपक्ष उपरोक्त अडिविजना श्री बजरंग लाल बिजारणियां ने प्रतिवादी संख्या 2, 5, 12, 14 की ओर से अकालतनामा पेश किया जो शामिल मिश्रण ही पत्रावली वास्तु अकालतनामा, जवाब व अकापा तलबी दि 18/11/23 को पेश हो

14/12/22

प्रतिवादी वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अर्ज पेश हुई वादीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण उक्त वादपत्र पेश करने समय बाद पत्र में अति रह गयी थी इसलिए उक्त वाद पत्र को अब आगे नहीं चलाना चाहते हैं। उक्त वाद पत्र को अर्जि विहीन नये वाद पत्र पेश करने की अनुमति के साथ खारिज किया जावे।

अतः वादीगण का वाद-पत्र अर्जि विहीन नये वाद-पत्र पेश करने की अनुमति के साथ खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजदारी शुमार होकर दायित्व दफ्तर व नम्बर से कम हो

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)